रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1982/ज्येष्ठ 7, 1904

No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1982/JYAISTHA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पोतवहन और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 मई, 1982

सा०का०नि० 427(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खण्ड (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्हावा-शेवा पत्तन को तुरन्त प्रभावी रूप में महापत्तन के रूप में घोषित करती है।

[सं०पी०डब्ल्यू/पीजीएल-12/82-(i)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th May, 1982

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by clause (8) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby declares that the port of Nhava-Sheva shall be a major port with immediate effect.

[No. PW/PGL-12/82(i)]

सा०का०नि० 428(अ):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्धों को तुरन्त प्रभावी रूप में न्हावा-शेवा महापत्तन को लागू करती है।

[सं० पी०डब्ल्यू/पीजीएल-12/82-(ii)]

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the major port of Nhava-Sheva with immediate effect.

[No. PW/PGL-12/82(ii)]

सा०का०नि० 429(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 की उपधारा (2) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 की उपधारा (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करती है कि न्हावा-शेवा पत्तन की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :—

पश्चिम में :

अक्षांश 18°-58'-25" उत्तर देशांतर 72°-56'-18" पूर्व एक बिन्दु से एलीफेंटा द्वीप के तट के साथ-साथ अक्षांश 18°-57'-5" उत्तर, देशांतर 72°-56'-8" पूर्व तक खींची गई रेखा और फिर अक्षांश 18°-56'-45" उत्तर, देशांतर 72°-54'-50" पूर्व बिन्दु तक और तत्पश्चात अक्षांश 18°-56'-25" उत्तर, देशांतर 72°-54'-40" पूर्व बिन्दु और उसके पश्चात 18°-55'-47" उत्तर देशांतर 72°-53'-30" पूर्व (पश्चिमी उरान बोया) बिन्दु तक और फिर अक्षांश 18°-54'-40" उत्तर देशांतर 72°-55'-23" पूर्व

बिन्दु तक और फिर अक्षांश 18°–55′–23″ उत्तर देशांतर 72°–55′–50″ पूर्व खींची गई रेखा ।

दक्षिण में :

अक्षांश 18°–55′–13″ उत्तर देशांतर 72°–55′–50″ पूर्व बिन्दु से अक्षांश 18°–53′–54″ उत्तर देशांतर 72°–56′–30″ पूर्व तक दक्षिण पूर्वी दिशा में खींची गई रेखा ।

पूर्व में :

करंजा द्वीप के उत्तरी तट पर उसके उत्तरी तट के साथ साथ लगभग अक्षांश 18°–53′–54″ उत्तर देशांतर 72°–53′–54″ उत्तर देशांतर 72°–56′–30″ पूर्व बिन्दु से पनवेल उरान मार्ग पर पुल पर लगभग अक्षांश 18°55′–42″ उत्तर देशांतर 73°–0′–30″ पूर्व स्थिति पर तत्पश्चात खाड़ी के पार पुल के साथ साथ खाड़ी के उत्तरी किनारे के तट तक रेखा और फिर न्हावा के तट पर लगभग, अक्षांश 18°–58–′42″ उत्तर देशांतर 73°–1′–12″ पूर्व कि स्थिति तक मुख्य भूमि के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी तट ।

उत्तर में :

पनवेल और थाना खाड़ियों के पार अक्षांश 18°–58′–42° उत्तर देशांतर 73°–1′–12″ पूर्व बिन्दु से अक्षांश 18°–0–50 उत्तर, देशांतर 72°–58;–17 पूर्व तक और फिर अक्षांश 18°–58′–25″ उत्तर देशांतर 72°–56′–18″ पूर्व बिन्दु तक खींची गई रेखा ।

टिप्पण :—शब्द "तट" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 4 की उपधारा (4) में यथापरिभाषित उच्चतम ज्वार चिह्न अभिप्रेत है, अर्थात जहां तक वर्ष के किसी भी मौसम में सामान्य वृहत-ज्वार पहुंच जाता है ।

[सं० पी० डब्ल्यू/पी जीएल/12/82-(iii)]

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and sub-section (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby declares that the limits of the Nhava-Sheva port shall be as follows —

TO THE WEST :

A line drawn from a point in Lat. 18°-58′-25″ N Long. 72°-56′-18″ E along the shore of Elephenta Islands to a point in Lat. 18°-57′-5″ N; Long. 72°-56′-8″ E and thence a line drawn to a point in Lat. 18°-56′-45″ N Long. 72°-54′-50″ E and thence to a point in Lat. 18°-56′-25″ N, Long. 72°-54′-40″ E and thence to a point in Lat. 18°-55′-47″ N, Long 72°-53′-30″ E (West Urban Buoy) and thence to a point in Lat. 18°-54′-40″ N, Long. 72°-55′-23″ E and thence to a point in Lat. 18°-55′-23″ N, Long. 72°-55′-50″ East.

TO THE SOUTH :

A line drawn South Easterly from a point in Lat. 18°-55′-23″ N, Long. 72°-55′-30″ E to a point in Lat. 18°-53′-54″ N, Long. 72°-56′-30″ E.

TO THE EAST :

From a point approximately Lat. 18°-53′-54″ N, Long, 72°-56′-30″ E, on the north shore of Karanja Islands along the northern shore of Karanja Island to the bridge on Panvel Uran Road at a position approximately Lt. 18°-55′-42″ N, Long. 73°-0′-30″ E, thence a line along the bridge across the creek to the shore on the north bank of the creek and thence the southern, western and northern shore of the mainland to a position approximtely Lat. 18°-58′-42″ N, Long. 73°-1′-12″ E, on the north shore of Nhava.

TO THE NORTH :

A line drawn across Panvel and Thana, Creeks from a point in Lat. 18°-58′-42″ N, Long. 73°-1′-12″ E, to a point in Lat. 18°-0′-50″ N, Long. 72°-58′-17″ E and thence to a point in Lat. 18°-58′-25″ N, Long. 72°-56′-18″ E.

NOTE : The word "shore" is intended to mean the high water mark as defined in sub-section (4) of section 4 of the Indian Ports Act, 1908, i.e. the highest point reached by ordinary spring tides at any season of the year.

[No. PW/PGL-12/82(iii)]

सा०का०नि० 430(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 की उपधारा (2) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 की उपधारा (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1481 तारीख 28 अक्तूबर, 1972 को अधिक्रांत करते हुए घोषित, करती है, कि मुम्बई पत्तन की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :—

उत्तर में :

ट्राम्बे ग्राम के निकट और दक्षिण पश्चिमी सीमा स्तम्भ से ट्राम्बे द्वीप से पीरपाव तक, फिर ट्राम्बे द्वीप के तट से अनिक ग्राम के सर्वेक्षण संख्या 42 में स्थित सीमा स्तम्भ तक और फिर माहुल खाड़ी के पार थावनी खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित सीमा स्तम्भ तक ।

पश्चिम में :

थावनी खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित सीमा स्तम्भ से मुम्बई द्वीप के पूर्वी तट से कोलाबा के दक्षिणी चरम बिन्दु तक, फिर बैंक बेतट से मालाबार प्वाइंट तक, फिर बाम्बे फ्लोटिंग लाइट तक लगभग अक्षांश 18°–50′ उत्तर, देशांतर 72°–44′ पूर्व की स्थिति तक खींची गयी रेखा और कुंडरी (केनरी) द्वीप के पश्चिमी बिन्दु पर सीमा स्तम्भ तक जाती हुई और फिर द्वीप के पश्चिमी तट पर, उसके दक्षिणी बिन्दु पर सीमा स्तम्भ तक ;

दक्षिण में ;

कुंडरी (केनरी) के दक्षिणी बिन्दु पर सीमा स्तम्भ से उन्दारी के दक्षिणी बिन्दु से होकर नवगांव (नेवेदार नवगांव) ग्राम के दक्षिण में मुख्य भूमि पर सीमा स्तम्भ तक खींची गयी रेखा

पूर्व में :

नेवगांव (नावेदार) नवगांव के दक्षिण में स्थित सीमा स्तम्भ मुख्य भूमि के पश्चिमी और उत्तरी तट से धुल नेट बीकन के उत्तर पूर्व में सीमा स्तम्भ तक, फिर धर्मतार खाड़ी के पार करंजा द्वीप के दक्षिणी छोर पर सीमा स्तम्भ तक फिर करंजा द्वीप के पश्चिमी तट से द्वीप के उत्तरतम बिन्दु पर स्थित सीमा स्तम्भ तक, फिर करंजा द्वीप के उत्तरी बिन्दु पर स्थित सीमा स्तम्भ से साथ साथ 1200 मीटर तक हौंग द्वीप के उत्तर पश्चिमी बिन्दु पर सीमा स्तम्भ तक करंजा द्वीप के उत्तर तट पर उरान मड फ्लैट्स के पार लगभग अक्षांश 18°–53′–54″ उत्तर देशांतर 72°–56′–30″ पूर्व, की स्थिति तक फिर अक्षांश 18°55′–23″ उत्तर देशांतर 72°–55′–30″ पूर्व के बिन्दु तक फिर अक्षांश 18°–54′–40″ उत्तर, देशांतर 72°–55′–23″ पूर्व के बिन्दु तक, और फिर अक्षांश 18°–55′–47″ उत्तर देशांतर 72°–53′–30″ पूर्व (पश्चिमी उरान बोया) तक, और फिर अक्षांश 18°–56–′25″ उत्तर देशांतर 72°–54′–40″ पूर्व पर बिन्दु तक और फिर अक्षांश 18°–56′–45″ उत्तर देशांतर 72°-54′-50″ पूर्व बिन्दु तक, फिर 18°–57′–57″ उत्तर देशांतर 72°–56′–8″ पूर्व बिन्दु तक, फिर एलीफैंटा द्वीप के दक्षिणी और पूर्वी तटों के साथ साथ अक्षांश 18°–58′–25″ उत्तर देशांतर 72°– 56′–18″ पूर्व तक, फिर अक्षांश 19°–0′–50″ उत्तर, देशांतर 72°–58′–17″ पूर्व बिन्दु तक और फिर थाना खाड़ी के पार ट्राम्बे ग्राम के निकट और दक्षिण पश्चिम में सीमा स्तम्भ तक रेखा ।

पत्तन सीमाओं के अन्तर्गत प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा डाक तथा उन डाकों के किसी विस्तारण के भीतर प्रायिकतः जल के नीचे आने वाले जल और भूमि है ।

टिप्पण—शब्द "तट" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 4 की उपधारा (4) में यथापारिभाषित उच्चतम जल चिह्न अभिप्रेत है अर्थात :— जहां तक वर्ष के किसी भी मौसम में सामान्य वृहत ज्वार चिह्न पहुंच जाता है ।

[पी०/डब्ल्यू०/पी०जी०एल०-12/82(iv)]

यशवन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव

G.S.R. 430(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and sub-section (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 1481 dated the 28th October, 1972, the Central Government hereby declares that the limits of the port of Bombay shall be as follows :—

TO THE NORTH :

From the boundary pillar south-west of and near to the village of Trombay the shore of Trombay Islands to Pir Pau, thence the shore of Trombay Islands to the boundary pillar situated in Survey No. 42 of Anik Village, and thence a line across the Mahul Creek to the boundary pillar situated on the south bank of Chandni Creek.

TO THE WEST

The eastern shore of the Islands of Bombay from the boundary pillar situated on the south bank of the Chandni Creek to the Southern extremity of Colaba point, thence the shore of Back Bay to Malbar Point, thence a line drawn to the Bombay Floating Light at a position approximately Lat. 18°-50' North, Long 72°-44' East, and continued to the boundary pillar on the west point of Kundari (Kennery) Island and thence the western shore of the Island to the boundary pillar on the South point thereof.

TO THE SOUTH

A line drawn from the boundary pillar on the south point of Kundari (Kennery) through the South point of Undari to the boundary pillar on the mainland south of the village of Navagam (Nevedar Navgaon).

TO THE EAST

From the boundary pillar situated south of Navagam (Navedar Navagaon the western and northern shore of the maimand to the boundary pillar north east of the Thull Knot Beaton, then a line across the Dharamtar Creek to the boundary pillar on the south-end of the Island of Karanja thence the western shore of the Island of Karanja to the boundry pillar situated at the northern-meet point of the Island thence 1,200 metre along a line from the boundary pillar situated at the northern point of the Karanja Island to the boundary pillar on the north-west point of Hog Island, thence a line across the Uran Mud Flats to a position approx. Lat. 18°-53'-54" N, Long. 72°-56'-30" E, on the north shore of Karanja Island thence to a point in Lat. 18°-55'-23" N Long. 72°-55'-50" E thence to a point in Lat. 18°-54'-40" N, Long. 72°-55'-23" E and thence to a point 18°-55'-47" N Long. 72°-53'-30" E (West Uran Buoy) and thence to a point in Lat. 18°-56'-25" N, Long. 72°-54'-40" E and thence to a point 18°-56'-45" N, Long. 72°54'-50" E thence to a point 18°-57'-5" N Long. 72°-56'-8" E thende along the Southern and Eastern shores of elephanta island to a point 18°-58'-25" N, Long. 72°-56'-18" E thence to a point 19°-0'-50" N, Long. 72°-58'-17" E and thence across Thana Creek to the boundary pillar south-west of and near to Trombay village.

Ports limits include all water and land usually covered by water within the Prince's Victoria and Indira Docks and any extension of the docks.

NOTE :—The word "shore" is intended to mean the high water mark as defined in sub-section (4) of section 4 of the Indian Ports Act, 1908, i.e. the highest point reached by ordinary spring tides at any season of the year.

[PW/PGL-12/82(iv)]
YASHWANT SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982